न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 24.06.2022

दावा संख्या 30/22

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

जानकीलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री छुट्टी जाति जाटव निवासी गांजन तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान — वादी

बनाम

1–रघुवर पुत्र गुन्ठई जाति जाटव निवासी गांजन तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

2–नरेश पुत्र पप्पू जाति जाटव निवासी गांजन तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 — प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

<u>निर्णय दिनांक– 11.09.2025</u>

उपस्थित –
वादी की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय दि. 11.06.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गांजन पटवार हल्का बीलखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 में वादी के खाते की आराजी ख0नं0 131/1 द. हि. रकबा 0.05 बीघा स्थित है, जिसे विवादित कहा गया है। उक्त विवादित आराजी को वादी बहैसियत खातेदार कृषक काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी से लगी हुई प्रतिवादीगण की भी आराजी है, आज से 3–4 माह पूर्व प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर वादी की विवादित आराजी पर कब्जा करने की नियत से विवादित खेत में आने जाने के रास्ते को जबरन ताकत के बल पर पत्थर का कच्चा कोट रख बंद कर दिया वादी की पुलिस में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 20.06. 2022 को वादी ने प्रतिवादीगण से रास्ते का पत्थर कोट हटाने को कहा तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और वादी को धमकी दी कि विवादित आराजी वादी को काश्त नहीं करने देंगे। प्रतिवादीगण की धमकी से वादी के हक हकूक को भारी खतरा हो गया है। इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्था[illegible] निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक[illegible] से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी ख0नं0 131/1 रकबा 5 विस्वा दक्षिण[illegible] हिस्सा से वादी को बेदख[illegible] की कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर [illegible]वादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण [illegible] अधिवक्ता [illegible] जबाव पेश करने के [illegible]वसर मांगा। कई अव[illegible] [illegible] दिनांक 11.06.2024 दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण ने कोई जबाव पेश नहीं [illegible] प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:11:49 IST
Reason: SelfAttested

11.09.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम गांजन संवत 2073–76 खाता संख्या 39 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 131/1 रकबा 0.05 बीघा वादी के एकमात्र खाते की होना प्रमाणित है, जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद प्रमाणित पाया जाता है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खाते की आराजी ख0नं0 131/1 रकबा 0.05 बीघा ग्राम गांजन तहसील शाहाबाद पर वादी के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11.09.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:11:49 IST
Reason: SelfAttested